न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय संख्या–166 /2013–14 अन्तर्गत धारा–331 ज0वि0अधि0

सुखराम पुत्र श्री डिंडू राम निवासी बालूवाला,परगना पछवादून जिला देहरादून।

बनाम

1–एस0डी0कण्डवाल पुत्र स्व0श्री बलदेव प्रसाद निवासी 34–ए,सुभाष रोड़ देहरादून,
2–उत्तराखण्ड सरकार, द्वारा कलेक्टर,देहरादून।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जगंपागी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता अपिलार्थी	:	श्री धरम सिंह नेगी।
अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या–1	:	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा

आदेश

यह द्वितीय अपील अपीलकर्ता ने विद्वान अपर आयुक्त गढवाल मण्डल कैम्प देहरादून द्वारा प्रथम अपील संख्या–06 वर्ष 2013–14 एस0डी0कण्डवाल बनाम सुखराम आदि में पारित आदेश दिनांक 12–05–2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

इस द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत है।

वादी/उत्तरदाता संख्या 1 एस0डी0कण्डवाल व राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण बलदेव सिंह निवासी सुभाष रोड़ देहरादून द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा–209(1)ज0वि0अधि0सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी देहरादून के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें वाद कार्यवाही विचाराधीन रहते निगरानी अपर आयुक्त गढवाल मण्डल एवं राजस्व परिषद् उत्तरप्रदेश में योजित की गई तथा सिविल जज (जू0डि0) देहरादून के न्यायालय में भी विक्रय पत्र को शून्य घोषित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया। राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी में आदेश पारित किया गया कि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी देहरादून के न्यायालय में विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा–209(1) ज0वि0अधि0में कार्यवाही स्थगित रहेगी। सिविज जज (जु0डि0) द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत विक्रय–पत्र निरस्तीकरण के वाद को दिनांक 23–12–2015 को निस्तारित किया गया जिसके पश्चात उत्तरदाता/वादी एस0डी0कण्डवाल ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05–11–2007 को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी विकासनगर के न्यायालय में प्रस्तुत कर धारा–209 ज0वि0अधि0में स्थगित कार्यवाही को आरम्भ करने तथा वाद का निस्तारण करने का आग्रह किया। विद्वान सहायक कलेक्टर,प्रथम

श्रेणी विकासनगर ने विधिवत् वाद की सुनवाई एवं वाद बिन्दु निर्धारित कर आदेश दिनांक 29–05–2012 से वादी का वाद निरस्त किया गया।

आदेश दिनांक 29–05–2012 के विरूद्व एस0डी0कण्डवाल उत्तरदाता संख्या –1 ने आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने यह कहते हुए कि अवर न्यायालय द्वारा वाद बिन्दुओं का विनिश्चयन साक्ष्यों के आधार पर नहीं किया गया है, आदेश दिनांक 12–05–2014 से सहायक कलेक्टर, का आदेश दिनांक 29–05–2012 निरस्त करते हुए प्रकरण अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। इसी आदेश के विरूद्व वर्तमान यह द्वितीय अपील निदेशित है।

मैने उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक् अवलोकन किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना उन्हे नोटिस भेजे तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्रथम अपील को एक पक्षीय रूप से निस्तारित कर दी गई है, जबकि प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि अपीलकर्ता को वाद की पूरी जानकारी थी तथा प्रथम अपील में भी उन्हें नोटिस जारी किये गये थे।

मैने प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रावली का भली–भांति अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अपील ग्रहण करने के दिनांक को नोटिस जारी करने के कोई आदेश पारित नही किये गये। तत्पश्चात आदेश पत्र दिनांक 30–10–2012 व 23–10–2013 में समन जारी व तामील करने के आदेश हुए हैं परन्तु पत्रावली में समन भेजे जाने अथवा उसके अपीलकर्ता पर तामील होने के कोई प्रमाण नही है। यहां तक कि भेजे गये समनों की प्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। आक्षेपित आदेश में भी यह उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस/लिखित बहस तथा अवर न्यायालय की पत्रावलियों का परिशीलन किया, जिससे से भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी को सुने बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया। तद्नुसार अपीलीय निर्णयादेश व आज्ञप्ति पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन नही हुआ है। अपीलकर्ता को सुना जाना आवश्यक था।

आदेश

उक्त के दृष्टिगत द्वितीय अपील स्वीकार कर आक्षेपित निर्णयादेश दिनांक 12–05–2014 अपास्त कर प्रकरण अपर आयुक्त गढवाल मण्डल कैम्प देहरादून/प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही प्रथम अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर करें। पक्षकार दिनांक 12–11–2017 को अवर न्यायालय

में उपस्थित हों सभी पत्रावलियां प्रथम अपीलीय न्यायालय को भेजी जाय। न्यायालय पत्रावली संचित की जाय। पक्षकारो की ओर से जो गुण–दोष के आधार पर तर्क प्रस्तुत किये गये है वे उन्हें प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 23–10–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)